

**कार्यवृत्त**  
**गुरुवार, 09 चैत्र, शक संवत्, 1940**  
**( दिनांक : 22 मार्च, 2018 )**

खण्ड-50  
अंक-3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी मा० सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अर्न्तराज्यीय बस अड्डे को हल्द्वानी के अन्तर्गत गौलापार से स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्ध में दी गयी नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न काल चलने दीजिये। विपक्ष के सभी मा० सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नियम-310 पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। इस पर संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि श्री अध्यक्ष जी विनिश्चय दें। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना को नियम-58 की ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

स्व० श्री राजकुमार शर्मा के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री ने शोकोद्गार व्यक्त किये।

**12 बजकर 22 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।**

मा० नेता प्रतिपक्ष एवं मा० मंत्री श्री मदन कौशिक ने भी स्व० श्री राजकुमार शर्मा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

**12 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

मा० नेता सदन एवं मा० सदस्य श्री सुरेश राठौर ने भी स्व० श्री राजकुमार शर्मा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये। श्री अध्यक्ष ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सदन की भावनाओं को उनके शोक संतृप्त परिवार को पहुँचा दी जायेगी। तत्पश्चात सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 23 सूचनार्यें प्राप्त हुई हैं वे इनमें से 07 सूचनार्यें स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

1. श्री राजकुमार टुकराल जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय में यातायात ( ट्रांसपोर्ट ( पढ़ी हुई मानी गयी ) नगर ) की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण वीला-बैराज सम्पर्क मार्ग की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण व्याप्त ( पढ़ी हुई मानी गयी ) असंतोष के सम्बन्ध में।
3. श्री गणेश जोशी जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी शहर में धर्म-परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री राम सिंह कैड़ा देवीधूरा देवीधाम के विश्व प्रसिद्ध बगवाल मेले को राज्य मेला घोषित किये जाने की मा०मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री देशराज कर्णवाल ग्राम पंचायत कुरड़ी, ब्लाक नारसन, जिला हरिद्वार के मजरे खालसा बस्ती व नाजपुरा को नगर पालिका परिषद् मंगलौर शामिल किये जाने विषयक।

6. श्री पुष्कर सिंह धामी विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत कस्बा खटीमा की महिलाओं द्वारा ओगमेन्ट साईं समृद्ध रियल स्टेट इण्डिया कम्पनी तथा न्यू रियल एग्री निधि लि० कम्पनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री विनोद कण्डारी जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के कीर्तिनगर तहसील में रजिस्ट्रार की नियुक्ति न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2017 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 ( 3 ) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश जल, संभरण, सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 ( उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की धारा-50( 4 ) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन ( बैलेन्सशीट ) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 की धारा-50 ( 5 ) ( क ) के अन्तर्गत “उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 तक के वार्षिक प्रतिवेदन” सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के विधायकों/ पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धी तदर्थ समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-थिथकी क्वायदपुर में मोबाईल नेटवर्क टावर लगवाने के सम्बन्ध में” श्री वैभव पुत्र श्री सुरेश पाल, ग्राम थिथकी क्वायदपुर, पो० मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-हथियाथल में शमशान घाट की चारदीवारी के सम्बन्ध में” श्री सुभाष पुत्र श्री हरपाल, ग्राम हथियाथल, पो० तांशीपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-पनियाला में स्टेशन से आजाद नगर रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री करणपाल पुत्र श्री दाताराम, ग्राम पनियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-हथियाथल में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री जयपाल पुत्र श्री श्यामलाल, ग्राम हथियाथल, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-अकबरपुर फाजिलपुर गांव से मूलेवाला गांव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री मित्ता पुत्र श्री भगमल, ग्राम अकबरपुर फाजिलपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-थिथकि से भरतपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री वैभव पुत्र श्री सुरेशपाल, ग्राम थिथकि, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-दहियाकी मण्डावली में तालाब के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री मनोज पुत्र श्री शीतल प्रसाद, ग्राम दहियाकी, पो0 गुरुकुल नारसन, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सलेमपुर राजपूताना से इकबालपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री मुकेश पुत्र श्री भोपाल सिंह, ग्राम सलेमपुर राजपूताना, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के लालकुआँ विधान सभा क्षेत्र में चोरगलिया नन्दौर रनशाली ( आसपास के क्षेत्र ) को टाड़गर रिजर्व बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री प्रकाश चन्द्र गरजौला पुत्र स्व0 श्री हरीशचन्द्र, जिला पंचायत सदस्य आमखेड़ा चोरगलिया गोलापार, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत गोगिना-कीमू 07 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री दरवान सिंह पुत्र श्री पान सिंह, ग्राम कीमू, पो0 गोगिना, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत खड़लेख भनार घुरड़िया बैण्ड से धरमघर माजखेत का चुचेर 08 किमी0 मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में” श्री नन्दन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्राम व पो0 चुचेर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत हरसीला पुड़कूनी चर्चई 05 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम व पो0 पुड़कूनी चर्चई, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत भैरू ओखलधार 06 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री श्रीम सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, ग्राम व पो0 पांकड़, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत गैरखेत से लखमारा 05 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री श्रीम सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, ग्राम व पो0 लखमारा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत करुली बैण्ड से गाजली विजोरिया 10 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री नारायण सिंह पुत्र श्री राम सिंह, ग्राम व पो0 करुली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत खड़लेख से भनार डाना 04 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री शिव सिंह पुत्र श्री खुशहाल सिंह, ग्राम व पो0 भनार, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कर्मी-बघर-ढोक्टीगांव मोटर मार्ग 10 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री रमेश सिंह पुत्र श्री कुशल सिंह, ग्राम व पो0 बघर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत शामा से डागटी वाया ज्ञानधुरा 06 किमी० मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री खुशहाल सिंह, ग्राम व पो० शामा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड चम्बा में हेवलघाटी नदी क्षेत्र में वर्ष 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त नहरो के पुर्ननिर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री भरत सिंह जडधारी, ग्राम व पो० जडधार गांव, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील के जल भराव से जाखणीधार क्षेत्र में पड़ रही दरार का भूगर्भीय सर्वेक्षण न कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री विनोद चमोली, प्रधान पिपोला, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में रा०इ०का० भवन ज्ञानसू टिहरी के भवन निर्माण न होने के सम्बन्ध में” श्री किशोर सिंह नेगी, पूर्व प्रधान नवाधर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में रा०इ०का० भवन छापराधार चम्बा के भवन निर्माण न होने के सम्बन्ध में” श्री मदन डबराल, प्रधान ग्राम पंचायत चोपडियाल गांव, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में चम्बा बाईपास पर (राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से उत्तरकाशी रोड पर) लम्बे समय से कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री धर्म सिंह रावत, सदस्य क्षेत्र पंचायत आराकोट, चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में नड़े टिहरी शहर के वर्षात के पानी से हमारी कृषि भूमि एवं गांवों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में” श्री बचन सिंह नेगी, पूर्व प्रधान जसपुर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में रा० एलोपैथिक चिकित्सालय अंजनीसैण टि०ग० के सड़क से न जोड़े जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती बेबी असवाल, ब्लॉक प्रमुख जाखणीधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में जाखणीधार तहसील के लिए जीर्ण-क्षीर्ण वन विभाग की सड़क को सही न करवाने के सम्बन्ध में” श्री विनोद बिष्ट, सदस्य क्षेत्र जाखणीधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में वि०ख० जाखणीधार की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सड़को को न बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री उदय रावत, मण्डल अध्यक्ष, भाजपा जाखणीधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील के आस पास जल संवर्धन के कार्य के लिए टी०एच०डी०सी० द्वारा धन न दिये जाने के बाबत कार्य न होने के कारण हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में” श्री अमर सिंह, ग्राम चोपड़ा पो० गेवली, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में तालाब के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री मनोज कुमार पुत्र श्री इकबाल सिंह, ग्राम व पो० शेरपुर खेलमऊ, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम डेलना में ज्योतिराम के मकान से नाथीराम के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण के सम्बन्ध में” श्री ज्योतिराम पुत्र श्री माहु, ग्राम डेलना, पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम बलेलपुर में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री प्रवेज पुत्र श्री मंजुर हसन, ग्राम बलेलपुर, पो० सलेमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कुर्डी में एन०एच० 58 से नगला ऐमाद तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सेवाराम, ग्राम कुर्डी, पो० मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम बलेलपुर में कब्रिस्तान की चारदीवारी के सम्बन्ध में” श्री जमशेद पुत्र श्री हानिफ, ग्राम बलेलपुर, पो० सलेमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लाठरदेवा हूण में अम्बेदकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री भूरा सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह, ग्राम लाठरदेवा हूण, पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के कारायल-टकुश मोटर मार्ग के डामरीकरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में” श्री महा सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, ग्राम रैकुना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के कलसा नदी के किनारे बसे गांवों की सुरक्षा हेतु चैकडैम बनाने के सम्बन्ध में” श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री भैरव दत्त, ग्राम अम्दो, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा कचलाकोट में प्रा० पाठशाला भवन के अन्दर कई महीनों भरे हुए मलुवे की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री पंकज सिंह बोरा, पुत्र घनश्याम सिंह बोरा, ग्राम कचलाकोट, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा सुई, ट्राड़ा, रीखाकोट सहित ओखलकाण्डा, धारी, रामगढ़, ब्लाकों में विद्युत विभाग द्वारा वर्षों से लगाये गये लकड़ी के पोल तथा उन पर झूल रहे बिजली के तार को बदले जाने के सम्बन्ध में” श्री मदन परगाई पुत्र श्री प्रेम बल्लभ परगाई, ग्राम ट्राड़ा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा के ग्राम सभा रैकुना, टकुश, जमराणी, रमैलगांव, में गौला नदी के किनारे भू-कटाव की कारण काश्तकारों को हो रहे नुकशान के सम्बन्ध में” श्री पान सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, ग्राम रैकुना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा ब्लाक के गौला नदी के किनारे बसे गांवों व जमीन की सुरक्षा हेतु चैकडाम व सीमेंट के ब्लाक बनाने के सम्बन्ध में” श्री रवि गोस्वामी, पुत्र हरिशंकर गोस्वामी, ग्राम खनस्यू, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के चमोली के तोक गाजा के कराली गाड़, लूगड़ नदी में लगातार हो रहे भू-स्खलन से जमीन को बहने से रोकने के लिए नदी के किनारे चैकदाम व सीमेंट के ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री रणजीत सिंह, पुत्र धरम सिंह, ग्राम चमोली गाजा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लाक में लमजाला से बानना तक वर्षों से कटे मोटर मार्ग में ग्रामीणों की कटी भूमि का मुवावजा ग्रामीणों को आज तक नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में” श्री संतोष शर्मा, पुत्र श्री अर्जुन शर्मा, ग्राम बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक में ग्राम चमोली के तोक गाजा, लूगड़ मोटर मार्ग, लूगड़ पुल से गाजा तोक तक दो किमी० डामरीकरण व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री चैत सिंह, पुत्र श्री कुशल सिंह, ग्राम गाजा चमोली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक में ग्राम पटरानी में कौन्ता से रा०ई०का० पटरानी की ओर पैदल मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री प्रेम राम पुत्र श्री डुंगर राम, ग्राम पटरानी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक में ग्राम पटरानी गांव में रेला नदी से पटरानी गांव की ओर जीर्ण-क्षीर्ण पेयजल लाईन का सुधार किये जाने के सम्बन्ध में” श्री नरेश चन्द्र, पुत्र श्री प्रेम राम, ग्राम पटरानी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली स्थित बजीरा में क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मतकीकरण के सम्बन्ध में” श्री भूपेन्द्र भण्डारी ग्राम ललूडी, विकासखण्ड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली स्थित पश्चिमी भरदर ( सौदाखाल ) में दूरसंचार टावर स्थापित करने के सम्बन्ध में” श्रीमती गुड्डी देवी, ग्राम सौराखाल, विकासखण्ड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि स्थित जनपद मुख्यालय में पेयजल आपूर्ति ( वाटर लिफ्टिंग ) के सम्बन्ध में” श्री अजय सेमवाल, ग्राम पुनाड़ विकासखण्ड अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी। ।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के अन्तर्गत रौंठिया-जवाड़ी, ग्राम समूह पेयजल योजना निमाण के सम्बन्ध में” श्रीमती आशा डिमरी, ग्राम स्वीली सेम, विकासखण्ड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली स्थित जैली एवं शीशों में सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बाढ़ सुरंग योजना के तहत कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में” श्री ओमप्रकाश बहुगुणा, ग्राम जैली, पो० तैला, वि०ख० जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के ग्राम काण्डा भरदार में नई पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सन्तु लाल, ग्राम काण्डा, विकासखण्ड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम पाबौ में 2 किमी० मोटरमार्ग निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में” श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, ग्राम पाबौ, विकासखण्ड अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग में आवारा पशुओं/गायों के संरक्षण हेतु काजी हाऊस निर्माण के सम्बन्ध में” श्री हरि सिंह बिष्ट, ग्राम चिनगवाड़, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री हरीश सिंह, मा० सदस्य विधान सभा ने दिनांक 22 मार्च, 2018 को विशेषाधिकार हनन की सूचना जो कि मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने कार्यालय में उनसे किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में है, उन्होंने तथा मा० नेता प्रतिपक्ष एवं मा० सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विचार व्यक्त किये। मा० संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मा० अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि वे इसका परीक्षण करा लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने “उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने “उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 21 मार्च, 2018 की बैठक में दिनांक 22 मार्च, 2018 से 26 मार्च, 2018 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

#### दिनांक 22 मार्च, 2018 ( गुरुवार )

माननीय सदस्य श्री देशराज कर्णवाल की नियम-54 की निम्नलिखित सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण:-

1. “प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।”
2. “प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।”

#### दिनांक 23 मार्च, 2018 ( शुक्रवार )

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यथावत्।

#### दिनांक 24 मार्च, 2018 ( शनिवार )

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण:-

1. उत्तराखण्ड पुलिस ( संशोधन ), विधेयक, 2018
2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( संशोधन ) विधेयक, 2018
3. उत्तराखण्ड ( संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 )( अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ) ( संशोधन ), विधेयक, 2018
4. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण ( संशोधन ), विधेयक, 2018
5. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018
6. पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय ( संशोधन ), विधेयक, 2018
7. उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय ( संशोधन ), विधेयक, 2018
8. उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ( संशोधन ), विधेयक, 2018
9. उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं ( प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम ) ( संशोधन ), विधेयक, 2018
10. उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018
11. उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018
12. उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ) ( अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 ) ( संशोधन ), विधेयक, 2018

दिनांक 25 मार्च, 2018 (रविवार) अवकाश

दिनांक 26 मार्च, 2018 (सोमवार)

(1) निम्नलिखित अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण:-

मा10 वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर, संसदीय एवं विधायी कार्य, निर्वाचन, आबकारी, जनगणना, भाषा, प्रोटोकाल मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	05	निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	08	आबकारी, विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

मा10 सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, जलागम प्रबन्ध, सहकारिता मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	18	सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	20	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

मा10 पर्यटन, औद्योगिक विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	26	पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	29	औद्योगिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

मा10 शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, कला एवं संस्कृति, वन मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

मा10 कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, पेयजल, जलापूर्ति, शहरी विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	13	जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

मा10 परिवहन, नागरिक उड्डयन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	24	परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान

मा10 पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
---------------	----	--

मा10 मंत्री श्रम, सेवायोजन, आवास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	16	श्रम और रोजगार, आवास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
---------------	----	--

अनुदान संख्या	01	विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	—तदैव—
<u>मा0 मुख्य मंत्री से सम्बद्ध विभाग</u>			
अनुदान संख्या	03	मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	—तदैव—
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	—तदैव—
	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	19	ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	21	उर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	25	खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	

(2) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2018 पर विचार एवं पारण।

**(शेष कार्यक्रम यथावत्।)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**01 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 में कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुईं इनमें से वे श्री प्रीतम सिंह, श्री फुरकान अहमद, श्रीमती ममता राकेश तथा काजी मौ0 निजामुद्दीन व करन माहरा की सूचना को नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा दी गयी नियम-310 की सूचना को प्राथमिकता के आधार पर लेने का आग्रह किया।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे को गौलापार से स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्ध में नियम-310 की नियम-58 में परिवर्तित सूचना पर नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 परिवहन मंत्री को सुनने पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्रहण किया।

उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्रहण किया।

श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री फुरकान अहमद एवं श्रीमती ममता राकेश का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

स्वास्थ्य सेवाओं में “द क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेंट एक्ट, 2010” को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री करन माहरा एवं काजी मौ0 निजामुद्दीन ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

### 03 बजकर 46 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर के भवन निर्माण एवं अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री उपाध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 को दिये गये अभिभाषण के लिये कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण से उक्त प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

तत्पश्चात् धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

04:00 बजे श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का आय- व्ययक प्रस्तुत किया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण चर्चा आरम्भ हुई।

05 बजकर 55 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

चर्चा में मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने भी विचार व्यक्त किये।

07:00 बजे श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री देशराज कर्णवाल मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं को प्रस्तुत किया :-

1. “प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय। ”
2. “प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय। ”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 में कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :-

मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट की सूचना, जो जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में है, को नियम- 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री प्रेम सिंह राणा की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के कैलाश नदी में बाढ़ आने से गांववासियों की कृषि भूमि के तटबन्धों का निर्माण कार्य न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम- 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुईं।

जगदीश चन्द्र  
सचिव,  
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल  
अध्यक्ष,  
विधान सभा।